

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 मार्च 2021— फाल्गुन 25, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-172/2019/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के नियम 9 के उप नियम (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा निम्न वर्णित अनुसूची अनुसार नगर पालिक निगम रिसाली, जिला-दुर्ग के महापौर पद का आरक्षण अधिसूचित करता है :-

अनुसूची

स.क्र.	नगर पालिक निगम का नाम	आरक्षण का वर्ग
1	रिसाली	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 16 मार्च 2021

क्रमांक एफ 1-172/2019/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-172/2019/18 दिनांक 16-03-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 16th March 2021

NOTIFICATION

No. F 1-172/2019/18. – In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of Rule 9 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of Office of Mayor & President) Rules, 1999 made under section-11 of Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) the state Government hereby notify the Reservation of the office of mayor of Municipal Corporation Risali, Distt-Durg as per schedule given below:-

SCHEDULE

S. No.	Name of Municipal Corporation	Category of Reservation
1	Risali	Other Backward Class (Female)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. R. DUBEY, Deputy Secretary.